न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-11/2015

1- गोपाल पुत्र
2- बजरंगलाल पुत्र
} स्व0 शिवभगवान जाति मीणा निवासी ग्राम बाजोर तहसील व जिला सीकर ।

---अपीलान्टस्---

---बनाम---

तहसीलदार सीकर तहसील व जिला सीकर ।

--रेस्पोडेन्ट---

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 14-3-2015 द्वारा तहसीलदार सीकर एवं निर्णय दि0 13-7-15 द्वारा जिला कलेक्टर, सीकर ।

--0--

उपस्थिति-

1- श्री प्रदीप जोशी एडवोकेट- अपीलान्ट
2- श्री पोकरमल राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक- 23.11.2017

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का ने तहसीलदार को रिपोर्ट की कि गोपाल, बजरंगलाल पि0 शिवभगवान मीणा ने सम्वत 2071 में ख0नं0 472 रकबा 0.24 हैक्टर गै0मु0 रास्ता में से 0.07 हैक्टर पर मैथी की काश्त कर अतिक्रमण किया है । इस पर तहसीलदार ने गैर सायल को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-91 का नोटिस जारी किया। जिस पर गैर सायल जरिये अधिवक्ता हाजिर आये। अदालत मातहत ने बाद सुनवाई फसल को कुर्क कर नीलामी के आदेश दिये तथा अतिक्रमी रकबे से बेदखल करने एवं लगान का 50 गुणा शास्ती कायम की गई । इस आदेश से

क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने प्रथम अपील जिला कलेक्टर सीकर के न्यायालय में पेश की जिस पर सुनवाई करते हुये अपीलान्ट की अपील खारिज कर दी जिससे क्षुब्ध होकर यह द्वितीय अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत के निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । अदालत मातहत ने अपीलान्ट को जबाब प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया बल्कि एक तरफा आदेश पारित किया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है ।अपीलान्ट की फसल को अपीलान्ट द्वारा जबाब प्रस्तुत करने से पूर्व ही दिनांक 23-12-2014 को कुर्क करने तथा कब्जा राज लेने बाबत पटवारी/गिरदावर हल्का के नाम आदेश पारित करने का आदेश विधि विरूद्ध पारित किया गया है ।अदालत मातहत द्वारा सम्पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया की पालना न कर अपना निर्णय पारित किया है।कानूनन किसी भी प्रभावी आदेश से पूर्व संबंधित व्यक्ति को जरिये नोटिस तलब कर जबाब देही एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना आवश्यक है। किन्तु अदालत मातहत ने अपीलान्ट को न तो जबाब का अवसर दिया और न ही सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया है। विद्वान तहसीलदार द्वारा नीलामी की कार्यवाही की सूचना भी अपीलान्ट को नहीं दी गई। बिना सूचना के दिनांक 27-2-15 को पटवारी हल्का द्वारा विधि विरूद्ध ढंग से नीलामी प्रक्रिया शुरू की गई है जो काबिले निरस्त है । अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब कि किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई ।बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में अपील मीमों में दर्ज तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि अदालत मातहत में अपीलान्ट को सुनवाई एवं जबाब देही का कोई अवसर नहीं दिया गया । अदालत मातहत ने अपीलान्ट को बिना सुने ही एकपक्षीय आदेश पारित किया है ।अदालत मातहत ने कोई न्यायिक

प्रक्रिया को बिना अपनाये आदेश पारित किया है ।बिना सुनवाई का अवसर दिये दिनांक 23-12-2014 को फसल कुर्क कर कब्जे राज लिये जाने के आदेश विधि के विपरित पारित किये हैं ।तथा दिनांक 27-2-15 को नीलामी की कार्यवाही की अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं दी। समस्त कार्यवाही अपीलान्ट की गैर मौजूदगी में की गई है ।अदालत मातहत का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है । अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत के निर्णय निरस्त किये जावे ।

विद्वारा राजकीय अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि अदालत मातहत का निर्णय उचित एवं विधिक है। अपीलान्ट ने जिस आराजी पर अतिक्रमण कर मैथी की फसल काश्त की ह वह रास्ता की भूमि है । इस भूमि पर अपीलान्ट को अतिक्रमण करने का कोई हक अधिकार नही है ।रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर काश्त करने पर फसल को कुर्क कर नीलाम किया गया है । अपीलान्ट का यह कहना गलत है कि उसे सुनवा ई का अवसर नहीं दिया। अपीलान्ट जरिये अभिभाषक उपस्थित आया है । अपीलान्ट को सुना गया है । इसके बाद सभी तथ्यों पर गौर करने के बाद निर्णय पारित किया गया है । अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । खसरा नम्बर 472 रकबा 0.24 हैक्टर गै0मु0 रास्ता दर्ज है ।इस आराजी पर अपीलान्ट ने किस हैसियत से काश्त की दर्ज नहीं किया ।और जब इस गै0मु0 रास्ता पर कोई भी व्यक्ति अतिक्रमण बिना किसी अधिकार के करता है तो विद्वान तहसीलदार का दायित्व है कि उसे तत्काल बेदखल किया जावे । जहां तक वकील अपीलान्ट का तर्क है कि उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया यह गलत है । अपीलान्ट जरिये वकील हाजिर आया है । अपीलान्ट द्वारा जबाब एवं साक्ष्य पेश नहीं करने पर आदेश पारित किया गया है ।अपीलान्ट जब जरिये वकील हाजिर हो गया तो जबाब प्रस्तुत करना चाहिये था ।अपीलान्ट ने जानबूझ कर जबाब एवं साक्ष्य पेश नहीं किया । इसके बाद ही अदालत मातहत ने अपना आदेश पारित किया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई

विधिक भूल नही है ।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा विद्वान जिला कलेक्टर सीकर का निर्णय दिनांक 13-7-2015 एवं विद्वान तहसीलदार सीकर का निर्णय दिनांक 14-3-2015 को यथावत रखा जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 23.11.2017 को सुनाया गया ।

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर